- 1 - III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2017/3923

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी

ब्रजभान सिंह पुत्र श्री घूमन सिंह यादव
निवासी ग्राम राजतला तहसील ईसागढ
जिला अशोकनगर म.प्र.

.........आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय
जिला अशोकनगर म.प्र.

....,........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 155/ स्व. निग./ 2006– 07 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक भूमिहीन व्यक्ति था ग्राम राजतला तहसील ईसागढ का निवासी है न्यायालय तहसीलदार ईसागढ द्वारा शासकीय भमि सर्वे क्रमांक 589 रकवा 5.968 हे. में से 1.000 हे. भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (3) के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 186अ–19 / 1991–92 द्वारा व्यवस्थापन दिनांक 7.4.1992 को आवेदक के नाम किया गया था।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को स्वनिगरानी में दिनांक 2006 में लिया गया प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 15 वर्ष बाद स्वमेव निगरानी में लिया गया परन्तु आवेदक को कोई नोटिस नही दिया और ना ही समुचित सुनवाई का अवसर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/अशोकनगर/भू रा./2017/3923

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/11/17	यह निगरानी कलेक्टर, अशोकनगर के प्र0क0 155/ 2006–07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 21–8–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया परिलक्षित है कि तहसीलदार ईसागढ़ ने आवेदक के हित में ग्राम राजतला की भूमि सर्वे कमांक 589 रकबा 5–968 हैक्टर में से 1–000 हैक्टर भूमि का व्यवस्थापन म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के अंतर्गत किया है, जबकि जॉच एंव सुनवाई के दौरान कलेक्टर जिला अशोकनगर ने पाया है कि आवेदक के परिजनों के नाम पूर्व से 1–664 हैक्टर भूमि है तथा आवेदक के पिता घूमन सिंह यादव के नाम पूर्व से 5–037 हैक्टर भूमि है। इस प्रकार आवेदक का परिवार पूर्व से ही बड़ा कास्तकार है। म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी कृषक को 0–500 हैक्टर से अधिक भूमि का व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता है एंव यह प्रावधान भी है कि आवेदक के पास पूर्व से धारित भूमि एंव व्यवस्थापित भूमि मिलाकर 2–000 हैक्टर से अधिक नहीं होना चाहिये, जबकि आवेदक के परिवार में पूर्व से 1–664 हैक्टर भूमि है एंव व्यवस्थापित भूमि 1.000 हैक्टर मिलाकर आवेदक के परिवार में 2–664 हैक्टर भूमि हो जाती है। इसके अतिरिक्त आवेदक के पिता घूमन सिंह के नाम पूर्व से ही 5–037 हैक्टर भूमि है। नियमानुसार 0–500 हैक्टर भूमि से अधिक भूमि अर्थात 1–000 भूमि का तहसीलदार ईसागढ़ व्दारा किया गया व्यवस्थापन	

नियम विरूद्व होना पाने के कारण एंव आवेदक भूमि व्यवस्थापन के लिये अपात्र होने के वाद भी भूमि व्यवस्थापित किये जाने से कलेक्टर जिला अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 155/2006-07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 21-8-2017 से तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरण कमांक 186 अ-19/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 7-4-1992 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 155/2006-07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 21-8-2017 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य